कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक- 673 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक 02/09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :– **प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/41009/2019 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून का कार्यालय पत्रांक संख्या 1661/ FP/UK/ROAD/41009/2019, दिनांक 10.01.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से उक्त प्रकरण पर लगाई गई ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 944/3 एल0ए0, दिनांक 29.07.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	Area proposed for diversion is 1.5225 ha out of which 3 0.385 ha area selected for muck 'disposal which appears to be more than requirement. State Govt. may justify the requirement of 0.385 ha area for muck disposal.	उक्त वन भूमि प्रस्ताव में 0.385 है0 का मक डिस्पोजल हेतु चयन किया गया है, जो सही है। मक डिस्पोजल प्लान से सत्यापित किया जा सकता है।
2	On perusal of KML file, it is noticed that beneficiary village is already on the road. State Govt. may justify the requirement of proposed road.	प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गाँव किसी भी अन्य मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है।
3	It is seen that the name of CA area is not mentioned in maps of CA. State Govt. may submit/upload the digital map of CA area mentioning the name of area selected for CA	सी0ए0 मैप में सी0ए0 का क्षेत्रफल स्थल सहित दर्शाकर अपलोड कर दिया है। **(संलग्नक–1)**
4	It is seen that the Administrative approval and Geologist Report uploaded online are not legible. State Govt. may upload the clear/legible scanned copy of the Administrative approval and Geologist Report in online portal.	पढ़ने योग्य साफ Administrative approval और Geologist Report अपलोड कर दी गई है। **(संलग्नक–2,3)**
5	The date is not mentioned in tree enumeration details. State Govt. may submit/upload the tree enumeration list mentioning the date.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पेड़ों की गणना की तिथि अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। **(संलग्नक–4)**
6	Certificate of work not start' is not found counter signed by the DFO. State Govt. may submit the same duly countersigned by the concerned DFO.	Certificate of work not start' में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कराकर अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–5)**

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

E:\D.F.O Letter\Latter.doc

(संलग्नक -1)

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ – जोगत मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल - बनगोड़ी

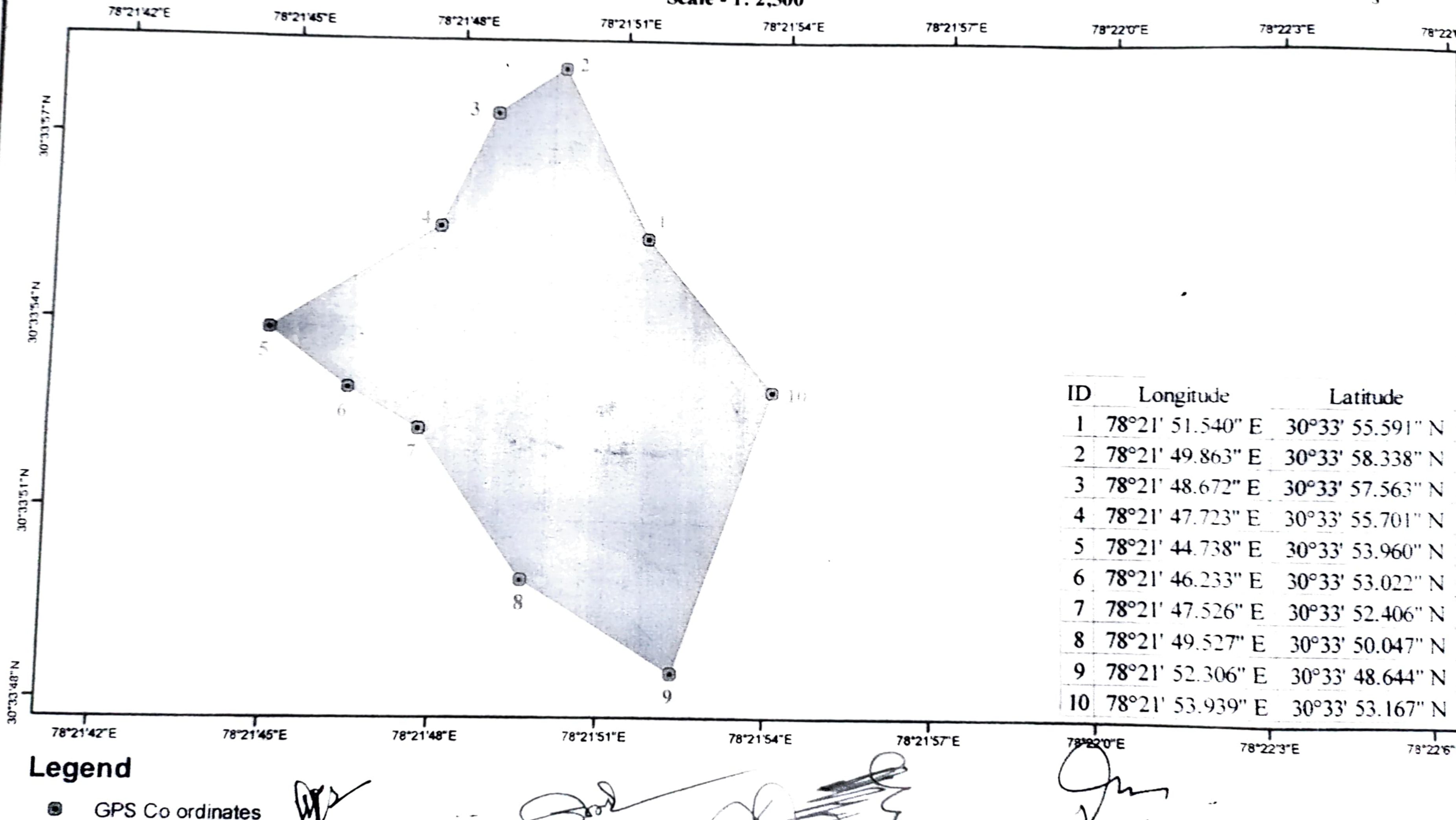

ID	Longitude	Latitude
1	78°21' 51.540" E	30°33' 55.591" N
2	78°21' 49.863" E	30°33' 58.338" N
3	78°21' 48.672" E	30°33' 57.563" N
4	78°21' 47.723" E	30°33' 55.701" N
5	78°21' 44.738" E	30°33' 53.960" N
6	78°21' 46.233" E	30°33' 53.022" N
7	78°21' 47.526" E	30°33' 52.406" N
8	78°21' 49.527" E	30°33' 50.047" N
9	78°21' 52.306" E	30°33' 48.644" N
10	78°21' 53.939" E	30°33' 53.167" N

Assistant Engineer
Construction Division PWD
Chinyalisaur Uttarkashi

अधिशासी अभियन्ता
निर्माणखण्ड, लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(संलग्नक-02)

संख्या- 549 / III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 29 जनवरी, 2014

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 किमी0 + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (₹ बारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 730/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– 549 (1)/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या:- 549 / III(2) / 14-49(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

24	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ -जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.51 [5.85 + 14.66 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
25	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 [32.85 + 86.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
26	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पयांसरी होते हुए ब्रह्मखाल-जुणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य।	5.00 + 24 mt	89.93 [30.93 + 59.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
27	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गंगटाडी स पटागंणी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	63.14 [40.95 + 22.19 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
28	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से लोल्दू मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
29	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र-धनोल्टी के विकासखण्ड- जौनपुर में थान-किट्ठ कुण्ड डाण्डा की बैली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण।	9.00	70.65 [52.65 + 18.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
30	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान-थुवासिमल मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से उटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 [17.55 + 5.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
31	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली (मनिआगर)-मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतोंली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 [17.55 + 5.43 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
32	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या-डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 [11.70 + 3.62 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
	योग:-	154.30 + 05	1264.32	3.20

(कुल ₹ तीन लाख बीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

(संलग्नक -03)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या ए0जी0– 34/सड़क/पुल/सम्रेखण/उत्तराखण्ड/गढ़वाल–2016

Geological assessment of 2.5 km long alignment corridor proposed for the construction of motor road joining village Gorudh with the Chinyalisaur-Jagoth motor road,Chinyalisaur block, Distt. Uttarkashi

25 फरवरी .2017

Geological assessment of 2.5 km long alignment corridor proposed for the construction of motor road joining village Gorudh with the Chinyalisaur-Jagoth motor road, Chinyalisaur block, Distt. Uttarkashi

Shiv Kumar Rai

25.02.2017

1-Introduction:- The Construction Division, Public Works Department, Chinyalisaur vide G.O. no. 549/III(2)/14-49/पा०आ०/2013 dated 29.01.2014 has been entrusted for the construction of motor road joining village Gorudh with the Chinyalisaur-Jogath motor road, Chinyalisaur Block, Yamnoutri Constituency, Distt. Uttarkashi. On the request made by Er. D.K. Bisht, Executive Engineer I carried out the geological assessment of the proposed alignment corridor on 13.01.2017. Er. P.K. Aggarwal, Astt. Engineer also accompanied the site visit.

2- Location:- The proposed alignment corridor of the above said motor road is situated on the left bank of the Bhagirathi river and joins the Gorudh village with the Chinyalisaur-Jogath motor road. It comprises 4 HP bends at 0/22, 0/32, 1/80 and 1/40 of 0/0 to 2/20 km length.

3- Geological Assessment:- Uttarkashi and its surrounding area falls in the inner land of Lesser Himalaya. The proposed site is few km away from Chinyalisaur and lies in a part of Garhwal Lesser Himalayan Belt. This area is represented by the rocks quartzites, phyllites, shales/slates belonging to Nathuakhan and Rautgara formation of Ramagarh Group and Damta Group respectively. The terrain containing this alignment is characterized by the hill slopes inclined gently between 30°-35°. Most of this alignment corridor comprised the thick cover of overburden material and scant outcrops of bed rocks. The rocky slopes are exposed in isolated stretches of irregular pattern. The rock quartzites of Rautgara group are highly massive but slightly fractured. Generally the rocks exposed along the alignment are slightly weathered, moderately hard and dissected by many numerous joint sets. The joint planes are linear and tight. According to the estimation made manually at the site, the "Uniaxial Compressive Strength" of the rock masses exposed on the cross slopes of this alignment was found ranging between 120 M Pa to 150 M Pa. At places where the rock masses are sheared, shattered, tectonized and distressed in nature , the UCS values is lower comparatively. This may due to the affect of the Srinagar Thrust (ST) which passes from few km from the proposed site.

The overburden material deposited on the cross slopes of this alignment is naturally dense, hard, compact in nature and it is comprised of the isolated rock fragments embedded in the sandy-silty to clayey matrix. The soils are mostly clayey and good cohesive in nature. The overburden material deposited on the cross slopes of this alignment do not contain any soft/dispersive soils. These soils exhibits good physical competence in dry state. According to the assessment made at the site the "Undrained Shear Strength" of the composite soils exposed along this alignment was found ranging between 250 K Pa to 340 K Pa.

The terraces developed on these slopes which are adjacent to the corridor are undeformed and do not manifest signatures related to the downward and outward movements. The entire visible ground in and around this alignment corridor do not bear signatures related to the ground subsidence and no where sink/pot holes were encountered during the walkover geological assessment.

By and large the cross slopes of this alignment are stable and free from any recent landslides and any other mass wasting activities.

On the basis of above geological inspection, study carried at the site following recommendations are being made for the construction of the proposed motor road failing to these recommendations this report will be treated automatically as cancelled.

4- Recommendations:

1- Form the road by half cut and half fill technique and compact the fill material by dynamic compaction.
2- Do not blast the rock mass because huge boulders which are scattered on the upslope side of the proposed alignment may become disturbed from it's temporary location may slide downslope towards the village.
3- Do not throw the excavated waste on the lower slope otherwise it will damage the houses located lower slope and lead hill slope instability.
4- In order to maintain the overall stability of the hill slopes and the road construct suitably designed retaining walls/ brest walls all along the road.
5- Construct large hill side lined/concrete drain all along the road and make adequate cross drainage arrangements.
6- Make adequate arrangements to dispose the waste water on the safe/ stable ground.
7- All the construction activity must be carried out as per the Indian standards codes of practice and norms prescribed by the BIS.

5- Conclusion: On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed 2.5 km long alignment corridor was found suitable for the construction of motor road joining village Gorudh with the Chinyalisaur-Jogath motor road comprising 4 HP Bends Chinyalisaur Block , Yamnoutri Constituency, Distt. Uttarkashi.

03/02/17

(Shiv Kumar Rai)
Astt. Geologist
Office of the Engineer in Chief
PWD, Dehradun

(संलग्नक-04) (25)

प्रारुप-19

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी0 लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 है0 आरक्षित / सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 17/06/2017 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार / प्रजातिवार / व्यास वार विवरण।

क्रम	भूमि की श्रेणी	ouCykd @ dEikVZe sUV u0 8 @[kljk la[;k	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि		**चीड**	पाइनस रौक्सवधाई	~~12~~	22	23	7	.	2	4	.	1	.	~~71~~ 59
			सिलवर रांक	(ग्रेवेलिया रोबस्टा)	~~4~~	.									रुट [स्न!
2	सिविल सोयम			.											
3	वन पंचायत														
4	संरक्षित वन														
	योग :- वन भूमि		**चीड**	पाइनस रौक्सवधाई		22	23	7	.	2	4	.	1	.	~~71~~ 59
			सिलवर रांक	ग्रेवेलिया रोबस्टा	~~4~~										4
5	नाप भूमि														
	कुल योग		**चीड**	पाइनस रौक्सवधाई		22	23	7	.	2	4	.	1	.	71
			सिलवर रांक	ग्रेवेलिया रोबस्टा	~~4~~										4

0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों को पृथक किया गया है

उपरोक्तानुसार गणना किये गये 59 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

उपजिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षर

ह0/- राजि अधिकारी

ह0/- प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

C.S
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

ह0/- राजस्व विभाग
तहसीलदार,
चिन्यालीसौड़।

ह0/- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Executive Engineer
Const. Division, PWD
Uttarkashi

प्रारूप 18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 0.8925 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.6300 हे0 सिविल स्वयं व नाप भूमि 0.6125 हे0 ने प्रस्तावित मोटर पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग